संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462 004

क्रमांक/यो/05/डी/2008/550 /भोपाल, दिनांक 31/03/2008

प्रति,

प्राचार्य,
स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/उज्जैन.
कलानिकेतन (पोली0) महाविद्यालय, जबलपुर/स.व.पोली. महाविद्यालय, भोपाल.

विषय :– **स्वशासी/जनभागीदारी मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि के व्यय के संबंध में पूर्व में बने नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर आपका अभिमत ।**

–000–

विषयान्तर्गत लेख है कि स्वशासी/जनभागीदारी मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में नियम वर्ष 2003 में बनाये गये थे समय–समय पर इन नियमों से संबंधित संशोधन भी जारी किये गये थे। उक्त नियमों के जारी होने से संस्थाओं के विकास को एक नई गति प्राप्त हुई हैं। वर्तमान परिस्थितियों में संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुये संस्थाओं द्वारा इन नियमों में और संशोधनों की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।

संस्थाओं के कार्पस फण्ड में एक निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा होने पर उस के उपयोग हेतु भी नियम बनाये जाना है ।

इस हेतु नियमों का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया गया है जो आपकी ओर आपके अभिमत हेतु भेजा जा रहा है। इस संबंध में आपका **बिन्दुवार अभिमत** दिनांक 15, अप्रैल–2008 तक संचालनालय, तकनीकी शिक्षा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इन्हें अन्तिम रूप दिया जा सकें।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश.

F:\Autinomous rules-08\Litter.doc

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक:एफ/50/16/1993/42–1/ /भोपाल, दिनांक / /2008

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त TEIQP योजना में शामिल स्वशासी
इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
.... (म.प्र.)

विषय :– **स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय (जो TEQIP योजना में शामिल है) में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में.**

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक ....

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत विभाग द्वारा जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देश एतद्सह द्वारा निरस्त किये जाते है एवं इसके स्थान पर निम्नानुसार दिशा–निर्देश आदेश की तिथि से जारी किये जाते है :–

1.0 **स्वशासी मद में आय के स्त्रोत :**

संस्थानों को निम्नलिखित मदों में प्राप्त होने वाली राशि को "स्वशासी मद में प्राप्त राशि" के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :–

1.1 शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

1.2 कन्सल्टेन्सी व टेस्टिंग (केवल वह भाग जो संकाय/कर्मचारियों का पारिश्रमिक के भुगतान एवं कन्सल्टेन्सी/टेस्टिंग को विकलनीय अन्य व्यय के पश्चात् बचता है (Only the balance/amount available after payment of remuneration to faculty and other staff and also after defraying expenses relevant and debitable to consultancy/testing)

1.3 निरन्तर शिक्षा कार्यक्रमों एवं इसी श्रेणी के शैक्षणिक कार्यक्रमों/विस्तार सेवाओं के संचालन से आय (Income from organization of academic programmes such as continuing education. extension services, training for various organizations and similar programmes)

1.4 आवेदन शुल्क (Application Fee)

1.5 फार्म की बिक्री (Sale of Forms)

1.6 स्थानीय क्रीड़ा शुल्क (Local Games Fee)

1.7 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क (Transfer Certificate Fee)

1.8 जुर्माने एवं दण्ड से प्राप्त आय (income from fines & penalties)

1.9 अमलगमेटेड निधि (Amalgamated Fund)

1.10 घास की नीलामी (Income from auction of grass)

1.11 रद्दी एवं अनुपयोगी सामग्री की ऐसी बिक्री (Sale of old news papers, other nonusable material) जो राज्य सरकार के राजस्व की श्रेणी में न आती हो।

1.12 केन्टीन, सायकल शेड, किओस्क एवं अन्य ऐसी ही सेवाओं के लिये उपलब्ध कराये गये स्थान के किराये की राशि (Rentals for the space permitted to be used for canteen, cycle shed, kiosk and similar services)

1.13 जप्त की गई या गत 2 वर्ष में वापस न ली गई धरोहर राशि (forfeited earnest money or earnest money not claimed for 2 years or more)

1.14 अन्य संस्थानों की परीक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम बैठक इत्यादि कार्यों के लिए किराए पर भवन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर प्राप्तियां।

1.15 विभिन्न संगठनों द्वारा कैम्पस् इंटरव्यू आदि आयोजित करने के लिये संस्था का देय शुल्क (ऐच्छिक)।

1.16 विविध शुल्क (Miscellaneous fees) (क्रमांक 1.1 से 1.15 के अलावा)

2.0 स्वशासी मद से प्राप्त राशि का संधारण :–

2.1 **बैंक :–**

स्वशासी मदों से प्राप्त राशि को संस्था के द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा के एक खाते में ही रखा जावे, बैंक तथा शाखा के नाम का अनुमोदन शासी निकास/प्रबंधन समिति से प्राप्त किया जाय। छात्रों द्वारा शिक्षण शुल्क को सीधे बैंक में जमा करने की सुविधा विकसित करने को प्राथमिकाता दी जाए।

2.2 स्वशासी मद की एक कैश बुक रखी जावे तथा विभिन्न मदों में व्यय हेतु पृथक–पृथक लेजर संधारित किये जावे।

3.0 कार्पस फण्ड :–

3.1 कार्पस फण्ड का निर्माण :–

3.1.1 स्वशासी मदों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अर्जित राशि (A) में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से संस्था के कार्पस फण्ड में जमा की जायेगी एवं शेष 90 प्रतिशत राशि वर्ष में पेरा 4.0 में वर्णित अनुसार व्यय की जा सकेगी। कार्पस फण्ड हेतु एक पृथक खाता उसी बैंक की उसी शाखा में हो जो पैरा 2.1 के अनुसार इसके लिये चयनित हो।

3.1.2 कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि (B) की 50 प्रतिशत राशि कार्पस फण्ड में ही जमा रहेगी। शेष 50 प्रतिशत राशि का उपयोग संस्था के विकास कार्यो के लिये किया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष में कार्पस फण्ड में

जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि के 50 प्रतिशत भाग को कार्पस फण्ड खाते से निकाल कर मुख्य खाते में जमा कराया जा सकता है जिसे वर्ष के दौरान पेरा 4.0 में वर्णित अनुसार व्यय किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि कार्पस फण्ड में जमा रहेगी। इससे कार्पस फण्ड में वृद्वि होगी तथा मुद्रास्फीति का दीर्घकालीन विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्पस फण्ड की राशि को पेरा 2.1 अनुसार चयनित उसी बैंक शाखा में अधिक ब्याज अर्जित करने के लिये एफ.डी./टी.डी.आर. इत्यादि के रूप में रखा जा सकता है जिसमें कार्पस फण्ड की राशि जमा है।

3.1.3 विगत् वर्ष में उपयोग के पश्चात् बची शेष राशि (C): यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी वर्ष में यदि उपयोग बाद राशि वर्षांत में बचती है तो उसका उपयोग अगले वर्ष के लिये केरी फारवर्ड करते हुये किया जा सकता है। तब भी वर्षांत में बची राशि नये वर्ष के दौरान "स्वशासी मदों से प्राप्त राशि" के 20 प्रतिशत (C 1) से यदि अधिक होती है तो इस 20 प्रतिशत के ऊपर की राशि (C 2) को कार्पस फण्ड में जमा करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि वर्षा–वर्ष राशि के उपयोग न होने की स्थिति में किसी एक वित्तीय वर्ष में एक सीमा से अधिक राशि व्यय हेतु उपलब्ध न हो सके।

3.2 कार्पस फण्ड का उपयोग :–

3.2.1 ऐसी संस्थाऐं जिसके कार्पस फण्ड में न्यूनतम राशि 300.00 लाख जमा हो चुकी है वे एक वर्ष में पेरा 3.1.1 से 3.1.3 के अनुसार कार्पस फण्ड में जमा की जा रही राशि का 50% तक की राशि का उपयोग पेरा 3.2.3 में वर्णित अनुसार कर सकेगी।

3.2.2 जिन संस्थाओं में कार्पस फण्ड पेरा 3.2.1 अनुसार वर्णित न्यूनतम राशि 300.00 लाख अधिक जमा है वह संस्थाऐं एक वित्तीय वर्ष में इस 300.00 लाख से अधिक उपलब्ध राशि को या रूपये 25.00 लाख तक, जो भी कम हो, पेरा 3.2.3 में वर्णित मदों में व्यय कर सकती है।

3.2.3 **कार्पस फण्ड का उपयोग :–**
कार्पस फण्ड का उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :–

(i) संस्था में स्व–वित्तीय आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों के लिये आवश्यक भवन निर्माण, उपकरण, पुस्तकें, कम्प्यूटर आदि का क्रय एवं संबंधित फैकल्टी के मानदेय/पारिश्रमिक पर आने वाला व्यय।

(ii) ऐसे पाठ्यक्रम, जो संस्था में संचालित है परन्तु जिन हेतु आवश्यक भवन निर्माण एवं फैकल्टी हेतु शासन से या अन्य किसी मद से व्यवस्था/आवश्यक राशि उपलब्ध न कराई गई हो, ऐसी सुविधाओं को निर्मित करने तथा उन पर होने वाला आवर्ती व्यय।

(iii) कार्पस फण्ड के उपयोग हेतु संबंधित राशि के बजट प्रस्तावों को संचालक, तकनीकी शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर करने के उपरांत शासी निकाय/प्रबंधन समिति से अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.0 व्यय के मद –

स्वशासीय मदों से उपलब्ध होने वाली राशि संस्था के निम्नलिखित विकास कार्यों पर व्यय की जा सकेगी।

4.1 **विश्व बैंक परियोजना के लिए प्राप्त राशि की अदायगी, भवन निर्माण, मरम्मत एवं साज–सज्जा :–**

(i) तकनीकी शिक्षण संस्थानों के गुणात्मक विकास के लिए विश्व बैंक सहायित तकनीकी शिक्षा गुणात्मक सुधार कार्यक्रम (TEQIP) वर्ष 2003–04 से लागू किया गया है। इनमें प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों को राशि ऋण के रूप में दी गई है। ऋण अदायगी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर की जानी है, जिसकी व्यवस्था संस्थानों के द्वारा स्वशासी मद से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी। इस प्रकार से ऋण अदायगी (Debt Servicing) के लिए व्यय के मद अधिकतम कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि रखी जायेगी।

(ii) संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये शैक्षणिक कार्यों हेतु भवन/शेड/शौचालय आदि का निर्माण।

(iii) शैक्षणिक कार्यों हेतु उपयोग में लाये जा रहे भवनों की आवश्यक मरम्मत।

(iv) शैक्षणिक कार्यों हेतु उपयोग में लाये जा रहे भवनों, प्राचार्य कक्ष एवं स्टाफ कक्ष आदि की साज–सज्जा ।

4.2 **उपकरणों का क्रय, उन्नयन, मरम्मत एवं केलीब्रेशन :–**

(i) संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय उनका उन्नयन, मरम्मत एवं केलीब्रेशन।

(ii) आफिस आटोमेशन, लायब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों को उन्नत करने के लिये उपकरण, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयरों का क्रय, मरम्मत एवं उन्नयन।

(iii) जनरेटर/इन्वर्टर (आवश्यकतानुसार पावर बेकअप) की व्यवस्था।

(iv) सोलर वाटर हीटर की स्थापना।

(v) EPBX, क्लोज सर्किट टीवी, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, पीए सिस्टम, फोटोकापी मशीन का क्रय।

(vi) कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना, नेटवर्किंग, उन्नयन एवं रखरखाव ।

(vii) उपकरणों के वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) पर होने वाला व्यय।

4.3 **फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत :–**

(i) व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर सेन्टर, लाइब्रेरी, कार्यालय, आडिटोरियम, सेमिनार हॉल, मिटिंग कक्ष, स्टाफ कक्ष, छात्रावास आदि के लिये फर्नीचर, अलमारियॉ, बुक्स स्टोरेज सेल्फ, ब्लेक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आदि का क्रय एवं मरम्मत।

4.4 **पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स का क्रय, संस्था के ब्रौशर, पैम्पलेट्स् इत्यादि की प्रिटिंग।**

4.5 **सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ एवं प्रकाश :–**

(i) संस्था परिसर, शैक्षणिक भवन, छात्रावास आदि में सुरक्षा, सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था। इस कार्य का संपादन प्राचार्य, शासी निकाय की स्वीकृति अनुसार पंजीकृत संस्था को ठेके पर या अन्य उपयुक्त विधि द्वारा कर सकेंगे।

(ii) खेल मैदान का विकास एवं खेल सामग्री का क्रय ।

(iii) जिम का विकास एवं संबंधित सामग्री का क्रय।

(iv) शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल का खनन्, आवश्यक उपकरणों जैसे वाटर प्यूरिफायर, कूलर आदि का क्रय एवं मरम्मत, जल प्रदाय संबंधी का रखरखाव एवं संबंधित उपकरणों के वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) पर आने वाला व्यय।

(v) छात्रावास में छात्र/छात्राओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डाक्टरों को प्रतिदिन के मानदेय के आधार पर आने वाला व्यय।

4.6 **गेस्ट फेकल्टी, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि का मानदेय एवं आडिट फीस का भुगतान:–**

(i) ऐसे पाठ्यक्रम जो संस्था में संचालित है परन्तु अभी तक उनके संचालन हेतु राज्य शासन के द्वारा पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं अथवा स्वीकृत किये गये पद एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम होने की स्थिति में संबंधित पाठ्यक्रमों के पठन–पाठन के लिये नियुक्त गेस्ट फेकल्टी का मानदेय, कन्वेंस एलाउंस आदि का भुगतान।

(ii) चार्टर्ड एकाउंटेंट का मानदेय।

(iii) आडिट फीस का भुगतान।

4.7 **शिक्षकों/छात्रों के प्रशिक्षण एवं छात्रों के प्लेसमेंट पर व्यय :–**

(i) शिक्षकों को सेमीनार, कान्फ्रेन्स इत्यादि में भाग लेने पर होने वाला व्यय।

(ii) संस्था में आयोजित सेमीनार, कान्फ्रेंस, वर्कशाप, गेस्ट लेक्चर, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि पर होने वाला व्यय ।

(iii) छात्रों की इण्डस्ट्रियल विजिट, टूर एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों हेतु एमपी टूरिज्म से या उसके द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर अथवा निविदा के आधार पर टेक्सी/बस आदि को किराये पर लेने, छात्रों का स्वल्पाहार एवं अन्य संबंधित व्यय।

(iv) छात्रों के प्लेसमेंट हेतु आने वाली विभिन्न इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के अतिथ्य पर व्यय। इसके अन्तर्गत संस्था में आने वाली इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों को चाय, नाश्ता, भोजन आदि पर होने वाला व्यय एवं आवश्यकतानुसार टेक्सी आदि की सुविधा भी समिलित होगी।

(v) टीपीओ को औद्योगिक क्षेत्रों में भ्रमण या सम्पर्क स्थापित करने हेतु आवश्यकतानुसार वाहन एवं मोबाइल/दूरभाष सुविधा पर होने वाले व्यय।

(vi) बेस्ट टीचर्स अवार्ड/बेस्ट स्टूडेन्ट अवार्ड आदि के आयोजन पर आने वाला व्यय।

4.8 **आई.एस.डी.एन.लीज् लाईन्स, फेक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों की मरम्मत एवं वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) संबंधी व्यय :–**

(i) संस्था में आई.एस.डी.एन. लीज्ड लाईन, इंटरनेट, वाई–फाई जोन की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों के क्रय/मरम्मत/वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) पर होने वाला व्यय।

(ii) विद्युत व्यवस्था, इंटरनेट, फैक्स, फोटोकापीयर आदि संबंधी व्यवस्थाओं का वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) पर होने वाला व्यय।

(iii) नये एल.टी./एच.टी. कनेक्शन पर होने वाले व्यय।

4.9 **संस्था की सोसायटी एवं संचालक मंडल/प्रबंधन समिति की बैठकों के आयोजन संबंधी व्यय :–**

(i) संस्था की सोसायटी एवं संचालक मंडल/प्रबंधन समिति के अशासकीय सदस्यों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता का भुगतान

(ii) बैठक में स्वल्पाहार/स्टेशनरी आदि के व्यय।

4.10 **अन्य आकस्मिक व्यय :–**

(i) संस्था में आयोजित विभिन्न मीटिंग, संस्था में आने वाले आगन्तुक/आमंत्रित अतिथि आदि के स्वपहार/चाय आदि पर होने वाला व्यय (इस मद के अन्तर्गत प्रतिमाह अधिकतम रूपये 2500/– तक की राशि व्यय की जा सकेगी।) संस्था को एक ऐसे रजिस्टर का संधारण करना होगा जिसमें आगन्तुकों से संबंधित जानकारी दर्ज हो।

(ii) इलैक्ट्रीशियन, कारपेन्टर, गार्डनर, व्हाट वाशर, आदि की सेवाऐं प्राप्त करना। इन सेवाओं को प्राप्त करने की पद्धति स्थानीय स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य शासी निकाय की स्वीकृति अनुसार कर सकेंगे।

(iii) फोटो कापी एवं स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये संबंधित कार्यों को आउटसोर्स करना/संबंधित कार्यों को कान्ट्रेक्ट पर देने संबंधी व्यय।

(iv) संस्था एवं विभाग के नाम का ग्लोसाइन बोर्ड का निर्माण।

(v) संस्था के संचालन हेतु छात्र हित में ऐसा अन्य आवश्यक व्यय जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया हो ।

नोट :–

1. भवन निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवश्यक एस्टीमेट किसी भी शासकीय/शासन द्वारा स्वशासी घोषित तकनीकी संस्था (इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालय) के सिविल विभाग/शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था यथा लोक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड आदि से प्राप्त किया जा सकता है।
2. निर्माण/मरम्मत हेतु संस्था आवश्यक गुणक्ता को दृष्टिगत् रखते हुऐ स्वयं की पद्धति विकसित कर सकती है। इस हेतु लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं किसी अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था से ही कार्य कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
3. कार्यों के संपादन हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम अथवा टीईक्यूआईपी योजना (TEQIP) अंतर्गत अनुमोदित क्रय नियम के समान पद्धति अपनाई जाये।
4. यदि शासीनिकाय/प्रबंधन समिति की बैठक किन्ही अपरिहार्य कारणों से नहीं आयोजित हो सकी हो, ऐसी स्थिति में किसी एक व्यय के मद में प्राचार्य रूपये 25,000/– तक की राशि स्वीकृत कर सकेगें। ऐसी समस्त स्वीकृतियों का अनुमोदन अध्यक्ष शासीनिकाय/प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में लिया जाना आवश्यक होगा।

5.0 लेखा एवं आडिट :–

5.1 स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के लेखे के संधारण के लिये प्रत्येक संस्था द्वारा डबल एंट्री सिस्टम पद्धति अपनाई जाये।

5.2 स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के आय–व्यय के लेखे का अंकेक्षण प्रतिवर्ष शासी निकास/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के अंदर अनिवार्य रूप से कराया जाये। शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा इस तरह नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट का कार्यकाल नियुक्त दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगा। इस प्रयोजन के लिए व्यय हेतु इसी मद का उपयोग किया जा सकेगा।

5.3 चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा लेखा अंकेक्षण की रिपोट शासी निकाय/प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत संचालक, तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के पूर्व प्रेषित की जाये।

5.4 स्वशासी के लेखे में संधारण हेतु एक एकाउटेंट प्रथक से पार्ट टाइम आधार पर या संस्था में उपलब्ध एकाउटेंट को प्रतिमाह रू. 250/– का अतिरिक्त मानदेय देकर कराया जा सकेगा। लेखा कम्प्यूटर के द्वारा संधारित करने को प्राथमिकता दी जाए।

6.0 नियोजन :–

6.1 प्राचार्य को इन निर्देश के अध्ययीन रहते हुये वार्षिक नियोजन करना चाहिये। इस तरह बनाये गये प्लान का अनुमोदन 31 अगस्त के पूर्व ही शासी निकाय/प्रबंधन समिति से प्राप्त करना चाहिये। इसकी सूचना बैठक के कार्यवाही विवरण सहित संचालक, तकनीकी शिक्षा को देनी होगी।

6.2 किसी भी वर्ष (01 अगस्त से 31 जुलाई) में पैरा 6.1 के अनुसार बनाये गये प्लान की वित्तीय सीमाओं, जिसका उल्लेख परिशिष्ट 1 में हैं, के लिये ही क्रय अथवा सेवा आदेश दिये जा सकेंगे। (कार्पस फण्ड की पैरा 3.2.2 में वर्णित राशि के उपयोग हेतु प्रस्ताव स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत् रखते हुये पृथक से बनाया जा सकेगा।) ऐसा करते समय यह हो सकता है कि आदेश देने के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक भुगतान हो अथवा भुगतान हो ही न पाये। ऐसी अवस्था में अगले वर्ष के लिये उपलब्ध राशि को दृष्टिगत् रखते हुये व कार्य भुगतानों के लिये प्रावधान करने के बाद ही नये आयटम अथवा सेवा के लिये नियोजन किया जाये एवं प्रावधान किया जाये। अपूर्ण कार्य के लिये वार्षिक व्यय सीमा से अधिक राशि का प्रावधान नहीं किया जा सकेगा।

7.0 पुनर्विनियोजन :–

7.1 व्यय के किसी एक मद के लिए निर्धारित राशि में बचत संभावित हो तो उसका अन्य व्यय के मद में पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। व्यय के मद क्रमांक–4.1 से 4.3 तक रूपये 10.00 लाख एवं व्यय के शेष मदों में रूपये 1.00 लाख तक के पुनर्विनियोजन हेतु प्राचार्य अधिकृत होगे। इस प्रकार से पुनर्विनियोजन करने के पश्चात् प्राचार्य को उनकी संस्था की शासी निकाय/प्रबंधन समिति को इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। इससे अधिक राशि के पुनर्विनियोजन के अधिकार संचालक की अनुशंसा पर शासन को होंगे।

8.0 विभिन्न मदों में व्यय की निर्धारित सीमा :–

8.1 कंडिका 4.0 में बताये गये व्यय के लिये निर्धारित की गई अधिकतम सीमा का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''एक'' पर दिया जा रहा है। संस्था प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वशासी मद में जमा राशि का उपयोग इस परिशिष्ट में बताई गई सीमा के अंदर ही हो। परिशिष्ट ''दो'' पर स्वशासी मद में जमा राशि के उपयोग का एक–एक प्रकरण उदाहरण के लिये दिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृ0 क्रमांक:एफ/50/16/1993/42–1/ /भोपाल, दिनांक / /2008

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये :–

1/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

2/ प्राचार्य/ सदस्य सचिव, शासी निकाय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सोसायटी जबलपुर/उज्जैन/रीवा एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय सोसायटी, भोपाल/ जबलपुर.।

3/ अध्यक्ष, समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सोसायटी जबलपुर/उज्जैन/रीवा एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय सोसायटी, भोपाल/जबलपुर.।

4/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

5/ संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

परिशिष्ट–"एक"

स्वशासी घोषित इजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय जो विश्व बैंक सहायित TEQIP योजना में शामिल हैं, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग :–

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि (A) (नियम 3.1.1 देखें)	–
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (B) (नियम 3.1.2 देखें)	–
3.	विगत वर्ष में व्यय के उपरांत शेष बची राशि (C) (नियम 3.1.3 देखें)	–
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि (A का 10% + B का 50%) + विगत वर्ष में व्यय के उपरांत नियम 3.1.3 अनुसार शेष बची राशि (C_2)	–
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि (A का 90% + B का 50%) + विगत वर्ष में व्यय के उपरांत नियम 3.1.3 अनुसार शेष बची राशि का भाग (C_1)	–

व्यय के मद :– (नियम 4 देखें)

1.	विश्व बैंक परियोजना के लिए प्राप्त राशि की अदायगी, भवन निर्माण, मरम्मत एवं साज–सज्जा	– 50 प्रतिशत राशि
2.	उपकरणों का क्रय	
3.	फर्नीचर का क्रय	
4.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स् का क्रय.	– 05 प्रतिशत राशि
5.	सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ एवं प्रकाश व्यवस्था.	– 09 प्रतिशत अधिकतम्
6.	गेस्ट फेकल्टी, चार्टर एकाउन्टेंट आदि का मानदेय एवं आडिट फीस का भुगतान	– 20 प्रतिशत अधिकतम
7.	शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण एवं छात्रों के प्लेसमेंट पर व्यय	– 06 प्रतिशत अधिकतम्
8.	आई.एस.डी.एन.लीज् लाईन्स, फेक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों की मरम्मत एवं वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) संबंधी व्यय	– 06 प्रतिशत अधिकतम्
9.	संस्था की सोसायटी एवं संचालक मंडल/प्रबंधन समिति की बैठकों के आयोजन संबंधी व्यय	– 01 प्रतिशत अधिकतम्
10.	आकस्मिक व्यय	– 03 प्रतिशत अधिकतम्

परिशिष्ट–"दो"

स्वशासी घोषित इजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय जो विश्व बैंक सहायित TEQIP योजना में शामिल हैं, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग का उदाहरण :–

(राशि लाख रूपयों में)

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि (A) (नियम 3.1.1 देखें)	– 90.00
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (B) (नियम 3.1.2 देखें)	– 24.00
3.	विगत वर्ष में व्यय के उपरांत शेष बची राशि (C) (नियम 3.1.3 देखें)	– 38.00
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि (A का 10% + B का 50%) + विगत वर्ष में व्यय के उपरांत नियम 3.1.3 अनुसार शेष बची राशि (C2=C-0.2xA)	– 9+12+20 = 41
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि (A का 90% + B का 50%) + विगत वर्ष में व्यय के उपरांत नियम 3.1.3 अनुसार शेष बची राशि का भाग (C1=C-C2)	– 81+12+18 = 111

	<u>व्यय के मद</u> :– (नियम 4 देखें)	व्यय हेतु निर्धारित प्रतिशत	वर्ष के दौरान व्यय हेतु उपलब्ध राशि
1.	विश्व बैंक परियोजना के लिए प्राप्त राशि की अदायगी, भवन निर्माण, मरम्मत एवं साज–सज्जा	– 50	55.50
2.	उपकरणों का क्रय		
3.	फर्नीचर का क्रय		
4.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स् का क्रय.	– 05	5.55
5.	सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ एवं प्रकाश व्यवस्था.	– 09	9.99
6.	गेस्ट फेकल्टी, चार्टर एकाउन्टेंट आदि का मानदेय एवं आडिट फीस का भुगतान	– 20	22.20
7.	शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण एवं छात्रों के प्लेसमेंट पर व्यय	– 06	6.66
8.	आई.एस.सी.एन.लीज् लाईन्स, फेक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों की मरम्मत एवं वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) संबंधी व्यय	– 06	6.66
9.	संस्था की सोसायटी एवं संचालक मंडल/प्रबंधन समिति की बैठकों के आयोजन संबंधी व्यय	– 01	1.11
10.	आकस्मिक व्यय	– 03	3.33
	योग :–	**100**	**111.00**

नियम 3.1.3 अनुसार माना कि विगत् वर्ष में उपयोग के पश्चात् बची शेष राशि (C)	= रूपया 38.00 लाख
नये वर्ष के दौरान "स्वशासी मदों से प्राप्त राशि"	= रूपया 90.00 लाख
अतः नये वर्ष के दौरान "स्वशासी मदों से प्राप्त राशि" के 20 प्रतिशत (C_1)	= रूपया 18.00 लाख
एवं वर्षांत में बची राशि (C) नये वर्ष के दौरान "स्वशासी मदों से प्राप्त राशि" के 20 प्रतिशत (C_1) से ऊपर की राशि (C_2)	= रूपया 20.00 लाख